न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 225 / 11 दायर दिनांक: 23.12.2024

सीसीएमएस नं. 2015 / 000282

1. बलवीर पुत्र श्री मदन जाति गूजर नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—वादी

वनाम

1. श्रीमति गुड्डी वेवा वीरेन्द्र जाति गूजर 2. सम्पति वेवा रामजीलाल 3. रमेश 4. वाबू 5. प्रकाश 6. समयसिंह 7. कमला पुत्रान रामजीलाल जातियान माली 8. लच्छीराम 9. ओमेश पुत्रान बोदन जातियान गूजर 10. फुलकन्दी वेवा गुलवी जाति धाकड़ 11. पप्पी वेवा रामकेश जाति मीणा समस्त नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज. 12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इन्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता– 1.श्री गुट्यारी सिंह —वादी

2.श्री मानसिंह धाकड़ —प्रति.

निर्णय दिनांक 21.10.2024

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 482 रकबा 17 बिस्वा, 1576 / 488 रकबा 15 बिस्वा, 1578 / 489 रकबा 04 बिस्वा, 1580 / 490 रकबा 03 बिस्वा, 481 रकबा 18 बिस्वा किता 05 कुल रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक निस्फ भाग के तथा ख.नं. 1570 / 485 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, 1572 / 486 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, 1574 / 487 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किता 03 कुल रकबा 04 बीघा 16 में 1 / 4, 1/4 हिस्से के वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक तथा 1 / 2 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 07 तथा 1 / 6 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 08 व 09 तथा ख.नं. 492 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक वाहिस्सा बराबर निस्फ हिस्से के तथा 1 / 4 भाग का प्रतिवादी संख्या 10 तथा 1 / 4 भाग में प्रतिवादी संख्या 11 काविज काश्तकार एवं खातेदार है, जो संयुक्त खातेदारी की आराजी है, जिसका अभी तक कोई विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है, केवल मात्र मनवटनी के आधार पर काविज चले आ रहे है।

उपरोक्त खसरा नंबरान वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक ने संयुक्त रूप से दिनांक 19.12.2002 को घूरे पुत्र मुरली जाति माली नि. इटामडा तह. भुसावर से जरिये रजिस्टर्ड कवाला वयनामा खरीद किये है, जिनके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज भी मुताबिक कवाला वयनामा के हो चुका है तथा घूरे का कब्जा जिस प्रकार से था, उसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 को कब्जा भी संभला दिया था। ख.नं. 487 में अपने निस्फ भाग में एक ट्यूबवैल भी मयनूर लगा रखा है, जिसका हवाला उसने कवाला वयनामा कराते वक्त कवाला वयनामा

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

पर नोट लिखवा दिया था। इस प्रकार से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 उक्त ट्यूबवैल को अपने उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है।

बाद खरीदने आराजी, आ.ख.नं. 482 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम इटामडा तह. भुसावर की बाउण्ड्रीवाल एवं कुछ हिस्से में रिहायश के लिये पुख्ता मकान का भी निर्माण कराया है, जिसका उपयोग व उपभोग सामलात मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 करते चले आ रहे है।

अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावें तथा उक्त विवादित आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य कानूनी विभाजन कराया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई नोटिस की ताईद में प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा श्री मानसिंह धाकड़ एड द्वारा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 व 11, 12 की कार्यवाही एकपक्षीय की गई तथा प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 10 की भी कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लायी गयी तथा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर तहसीलदार, भुसावर को वास्ते विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/एल.आर./2024/718 दिनांक 20.02.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। उन्होने विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव पत्रांक/एल.आर./2024/718 दिनांक 20.02.2024 अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग होगा। तदनुसार पर्चा डिक्री तैयार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 225/11 दायर दिनांक: 23.12.2024

जीसीएमएस नं. 2015/000282

1. बलवीर पुत्र श्री मदन जाति गूजर नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

---वादी

बनाम

1. श्रीमति गुड्डी वेवा वीरेन्द्र जाति गूजर 2. सम्पति वेवा रामजीलाल 3. रमेश 4. बाबू 5. प्रकाश 6. समयसिंह 7. कमला पुत्रान रामजीलाल जातियान माली 8. लच्छीराम 9. ओमेश पुत्रान बोदन जातियान गूजर 10. गुलकन्दी वेवा गुलवी जाति धाकड़ 11. पप्पी वेवा रामकेश जाति मीणा समस्त नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज. 12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

---प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता– 1.श्री गुट्यारी सिंह ---वादी
2.श्री मानसिंह धाकड़ ---प्रति.

<u>डिक्री 21.10.2024</u>

वाद वादी बलवीर बनाम गुड्डी में वाद पत्र बाबत् दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु दावा वादी स्वीकार किया जाता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव पत्रांक/एल.आर./2024/718 दिनांक 20.02.2024 अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग होगा।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)